



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022021-225360
CG-DL-E-23022021-225360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2021/फाल्गुन 3, 1942

No. 87]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/PHALGUNA 3, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 128(अ).—केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना - ये नियम

(क) विद्युत क्रय करार, विद्युत आपूर्ति करार और पारेषण सेवा करार जिनमें टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन निर्धारित किया जाता है; और

(ख) ऐसे विद्युत क्रय करार, विद्युत आपूर्ति करार और पारेषण सेवा करार जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् प्रभावी हुए हैं, जिनमें टैरिफ अधिनियम की धारा 63 के अधीन निर्धारित किया जाता है, के अनुसरण में किए जाने वाले भुगतानों के लिए लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं –** (1) इन नियमों में, जब तक कि इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) “विलंब भुगतान अधिभार की आधार दर” से भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि आधारित ऋण दर की अत्यल्प लागत, जो कि वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसमें वह अवधि निहित है, के साथ-साथ पांच प्रतिशत तथा निधि आधारित ऋण दर की अत्यल्प लागत के अभाव में, कोई अन्य व्यवस्था जो इसे प्रतिस्थापित करती हो, जिसे केंद्रीय सरकार ने राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया हो, अभिप्रेत है;

परंतु यदि व्यतिक्रम की अवधि दो या अधिक वित्तीय वर्षों के बीच है, विलंब भुगतान अधिभार के आधार दर की गणना, अलग-अलग वर्षों में आने वाली अवधि के लिए अलग से की जाएगी;

(ग) “देय तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तक विद्युत उत्पादन कंपनी या विद्युत व्यापारी द्वारा या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपबंधित पारेषण सेवा के लिए, विद्युत क्रय करार, विद्युत आपूर्ति करार, पारेषण सेवा करार, जैसा भी मामला हो, के अनुसार और यदि करार में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो तो ऐसी उत्पादन कम्पनी विद्युत व्यापारी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल के प्रस्तुत करने की तारीख से पैंतालीस दिनों में विद्युत आपूर्ति भार के बिल का भुगतान किया जाता है।

(घ) “विलंब भुगतान अधिभार” से किसी विद्युत उत्पादन कंपनी अथवा विद्युत व्यापारी से खरीदी गई विद्युत के लिए वितरण कंपनी द्वारा, अथवा पारेषण प्रणाली के किसी प्रयोक्ता द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को देय तारीख के बाद मासिक प्रभारों के भुगतान में विलंब के कारण वितरण कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

4. **विलंब भुगतान अधिभार .-** (1) विलंब भुगतान अधिभार व्यतिक्रम के पहले माह की अवधि के लिए लागू विलंब भुगतान अधिभार की आधार दर पर देय तारीख के पश्चात् बकाया भुगतान पर देय होगा।

(2) उत्तरोत्तर महीनों में व्यतिक्रम के लिए विलंब भुगतान अधिभार की दर में विलंब के प्रत्येक माह के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी परंतु विलंब भुगतान अधिभार किसी भी समय आधार दर से 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

परंतु वह दर जिस पर विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान किया जाएगा, विद्युत क्रय अथवा पारेषण के लिए करार, यदि कोई हो, में विनिर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह और कि, यदि किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास बिल की देय तारीख से सात माह अवसान होने के पश्चात् किसी बिल के प्रति विलंब भुगतान अधिभार सहित कोई भुगतान बकाया है, जब तक कि ऐसे बिल का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तो उसे विद्युत एक्सचेंज से विद्युत की खरीद अथवा अल्पकालिक मुक्त पहुंच प्रदान करने से विवर्जित कर दिया जाएगा।

5. **विलंब भुगतान अधिभार के प्रति समायोजन -**किसी विद्युत उत्पादन कंपनी अथवा विद्युत व्यापारी को उनसे खरीदी गई विद्युत के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अथवा पारेषण प्रणाली के किसी प्रयोक्ता द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सभी भुगतान सबसे पहले विलंब भुगतान अधिभार के प्रति और इसके बाद, सबसे पुराने अतिदेय बिलों से शुरू करते हुए, मासिक प्रभारों के प्रति, समायोजित किए जाएंगे।

[सं. 23/22/2019-आरएंडआर पार्ट-4]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2021

G.S.R. 128(E).—In exercise of powers conferred by Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Electricity (Late Payment Surcharge) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**-These rules shall be applicable for payments to be made in pursuance of---
 - (a) Power Purchase Agreements, Power Supply Agreements and Transmission Service Agreements, in which tariff is determined under section 62 of the Act; and
 - (b) such Power Purchase Agreements, Power Supply Agreements and Transmission Service Agreements that become effective after these rules come into force, in which tariff is determined under section 63 of the Act.
3. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) “base rate of Late Payment Surcharge” means the marginal cost of funds based lending rate for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year in which the period lies, plus five percent and in the absence of marginal cost of funds based lending rate, any other arrangement that substitutes it, which the Central Government may, by notification, in the Official Gazette, specify:

Provided that if the period of default lies in two or more financial years, the base rate of Late Payment Surcharge shall be calculated separately for the periods falling in different years;
 - (c) “due date” means the date by which the bill for the charges for power supplied by the generating company or electricity trader or for the transmission service provided by a transmission licensee are to be paid, in accordance with the Power Purchase Agreement, Power Supply Agreement or Transmission Service Agreement, as the case may be, and if not specified in the agreement, forty-five days from the date of presentation of the bill by such generating company, electricity trader or transmission licensee;
 - (d) “Late Payment Surcharge” means the charges payable by a distribution company to a generating company or electricity trader for power procured from it, or by a user of a transmission system to a transmission licensee on account of delay in payment of monthly charges beyond the due date;
 - (2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
4. **Late Payment Surcharge.**- (1) Late Payment Surcharge shall be payable on the payment outstanding after the due date at the base rate of Late Payment Surcharge applicable for the period for the first month of default.
 - (2) The rate of Late Payment Surcharge for the successive months of default shall increase by 0.5 percent for every month of delay provided that the Late Payment Surcharge shall not be more than 3 percent higher than the base rate at any time:

Provided that the rate at which Late Payment Surcharge shall be payable shall not be higher than the rate specified in the agreement for purchase or transmission of power, if any:

Provided further that, if a distribution licensee has any payment including Late Payment Surcharge outstanding against a bill after the expiry of seven months from the due date of the bill, it shall be debarred from procuring power from a power exchange or grant of short term open access till such bill is paid.
5. **Adjustment towards Late Payment Surcharge.**- All payments by a distribution licensee to a generating company or a trading licensee for power procured from it or by a user of a transmission system to a transmission licensee shall be first adjusted towards Late Payment Surcharge and thereafter, towards monthly charges, starting from the longest overdue bill.

[No. 23/22/2019-R&R Part-4]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.